भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

विविध वाद सं0 126/2022–23 (S.T.)

दुली रानी मुर्मू एवं 01 अन्य.................. प्रथम पक्ष

बनाम

बीना टुडू.. द्वितीय पक्ष।

क्रमांक/ दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कारवाई
	यह वाद मौजा पावड़ा, थाना न0 112, खाता न0 42, प्लॉट न0 61 रकवा 4. 13 डी0, गोड़ा दो, वार्षिक लगान 1.00 रू0, भूमि अन्तरण से संबंधित है। इस वाद के आवेदिकागण 01. दुली रानी मुर्मू एवं 02. पानी रानी मुर्मू दोनों के पिता स्व0 दिकु मुर्मू, ग्राम पावड़ा,, थाना घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के निवासी है । विपक्षी बीना टुडू, पति दशमात टुडू, ग्प्रम आसना, थाना घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के निवासी है। इस वाद में निर्गत सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदिकागण के द्वारा प्रश्नगत भूमि के अन्तरण हेतु समर्पित कागजात, शपथ पत्र सं0 10 एवं 11 दिनांक 30.10.2023 तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक 324 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया । प्राप्त जॉच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि आवेदिकागण के पितामह कान्हु मुर्मू के नाम पर हाल सर्वे 1964 में दर्ज है। आवेदिकागण के पितामह आवेदित भूमि के खतियानी/जमाबंदी रैयत है। आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदिकागण को उक्त जमीन विकी का प्रथम द्रष्टया हक प्राप्त है। आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके परिवार के जीवन निर्वाह हेतु लगभग 2 एकड़ से अधिक जमीन शेष बचता है। आवेदिकागण आवेदित भूमि को आवश्यक पारिवारिक खर्च एवं ऋण अदायगी इत्यादि की प्रतिपूर्ति के लिए 625,000.00 (छः लाख पचीस हजार) रू0 में विकी करना चाहतें है, जो अपरिहार्य है। दिनांक 27.12.2022 को निर्गत सर्वसाधारण सूचना के विरूद्ध अब तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। उभय पक्ष अर्थात विकेता एवं क्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के अन्तर्गत निवास करते है। अतः उपर्युक्त प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, घाटशिला से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 46(क) के तहत आवेदित भूमि के अन्तरण हेतु आवेदिकागण को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि केता एवं विकेता विकी की जाने वाली भूमि के हक/दखल कब्जा/कोई विवाद के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगें। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम (अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त)	

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2024.09.20 13:37:57 +05:30
Location: 192.168.1.41